कायालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नीमच (म.प्र.)

(प्रथम तल कलेक्टोरेट कार्यालय भवन नीमच म.प्र.)

neemuch@mptownplan.gov.in दूरभाष: 07423-224072

क्रमांक / /अभि. /न.ग्रा.नि. /2022/ नीमच दिनांक

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड–मनासा
जिला नीमच (म.प्र.)

विषय :– ग्राम सांड़िया तह. मनासा जिला नीमच स्थित भूमि सर्वे क्र. 41/2 रकबा 0.05 हे. 42/1 रकबा 0.10 हे. 42/2 रकबा 0.04 हे. 42/3 रकबा 0.04 हे. 43/1 रकबा 0.10 हे. 43/2 रकबा 0.04 हे. 43/3 रकबा 0.04 हे. 44/1 रकबा 0.020 हे. 44/2 रकबा 0.01 हे. 44/3 रकबा 0.01 हे. 45/1 रकबा 0.030 हे. 45/2 रकबा 0.01 हे. 45/3 रकबा 0.01 हे. 46/1 रकबा 0.21, हे. 46/2 रकबा 0.08, हे. 59/1/1/2, रकबा 0.007 हे., 59/1/5 रकबा 0.007 हे. 59/1/6 रकबा 0.007 हे. 59/1/15 रकबा 0.18 हे., 72 रकबा 0.44 हे.,(मेसे 0.039) हे., 75/2 रकबा 0.020 हे., 75/4 रकबा 0.060 हे., 76 रकबा 0.15 हे, (मेसे रकबा 0.11 हे). 77/1 रकबा 0.61 हे. (मेसे रकबा 0.40 हे). 77/2 रकबा 0.06 हे. 78 रकबा 0.66 हे. 80/1 रकबा 0.2 हे. (मेसे रकबा 0.065 हे). 81 रकबा 0.050 हे., 82/2 रकबा 0.18 हे. 84 रकबा 0.050 हे. एवं सर्वे क्र. 85 रकबा 0.44 हे. (मेसे रकबा 0.296 हे). कुल रकबा 5.411 हे. मे से रकबा 2.236 हे. भूमि पर भूखण्डीय आवासीय सह वाणिज्यिक कालोनी **शुभ मंगल–2** के विकास हेतु अभिमत बाबत्। आवेदक मेसर्स गंगानगर प्रीमियम प्रोपर्टीज भागीदार श्री अरूल पिता अशोक अरेरा एवं श्री आशीष पिता जयशंकर व्यास निवासी नीमच, कालोनाईजर मंगलायन रियल स्टेट श्री शैलेष पिता गिरधारी लाल गर्ग निवासी नीमच,

सन्दर्भः– आपका मूलतः पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 23–08–2022,

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके मूलतः सन्दर्भित पत्र एंव आवेदक/कॉलोनाईजर व्दारा प्रेषित जानकारी एवं शपथ पत्र के परिपेक्ष्य में सांड़िया तह. मनासा जिला नीमच स्थित भूमि सर्वे क्र. 41/2 रकबा 0.05 हे. 42/1 रकबा 0.10 हे. 42/2 रकबा 0.04 हे. 42/3 रकबा 0.04 हे. 43/1 रकबा 0.10 हे. 43/2 रकबा 0.04 हे. 43/3 रकबा 0.04 हे. 44/1 रकबा 0.020 हे. 44/2 रकबा 0.01 हे. 44/3 रकबा 0.01 हे. 45/1 रकबा 0.030 हे. 45/2 रकबा 0.01 हे. 45/3 रकबा 0.01 हे. 46/1 रकबा 0.21, हे. 46/2 रकबा 0.08, हे. 59/1/1/2, रकबा 0.007 हे., 59/1/5 रकबा 0.007 हे. 59/1/6 रकबा 0.007 हे. 59/1/15 रकबा 0.18 हे., 72 रकबा 0.44 हे.,(मेसे 0.039) हे., 75/2 रकबा 0.020 हे., 75/4 रकबा 0.060 हे., 76 रकबा 0.15 हे, (मेसे रकबा 0.11 हे). 77/1 रकबा 0.61 हे. (मेसे रकबा 0.40 हे). 77/2 रकबा 0.06 हे. 78 रकबा 0.66 हे. 80/1 रकबा 0.2 हे. (मेसे रकबा 0.065 हे). 81 रकबा 0.050 हे., 82/2 रकबा 0.18 हे. 84 रकबा 0.050 हे. एवं सर्वे क्र. 85 रकबा 0.44 हे. (मेसे रकबा 0.296 हे). कुल रकबा 5.411 हे. मे से रकबा 2.236 हे. भूमि पर भूखण्डीय आवासीय सह वाणिज्यिक कालोनी शुभ मंगल–2 के विकास हेतु अभिमत चाहा गया है।

प्रश्नाधीन भूमि पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नही होने एवं पर्याप्त पहुच मार्ग उपलब्ध होने के फलस्वरूप आवासीय भूखण्डीय विकास को कियान्वित करने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014 वं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के मार्ग सिद्धान्तो के तहत निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तो के अ्ध्यधीन रहते हुये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शुभ मंगल–2 कालोनी के भूखण्डीय आवासीय सह वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अभिमत निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

निरतर.....2,

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्थाओं से अनापत्ति/ अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगाः–
   1. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959
   2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014
   3. नजूल अधिकारी मनासा जिला नीमच,
2. अन्य किसी अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो तो उसे स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।
3. विषयांकित भूमि को पूर्व स्वीकृत प्रस्तावित शुभ मंगल कालोनी के 10.67 चौडे मार्ग से आवेदित स्थल को सीधा पहुच प्राप्त है। जैसा कि संलग्न मानचित्र में दर्शित है।
4. आवेदक/भू–स्वामी व्दारा प्रस्तुत खसरा–अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर उसकी सम्पूर्ण जबाबदारी स्वयं आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी।
5. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी व्दारा रजिस्ट्रीकरण कमांक 01/2016–2017 दिनांक 29–09–2017 वैधता दिनांक 28–09–2022 के अनुसार अन्य सभी नियमों का पालन सक्षम प्राधिकारी व्दारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावें।
6. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार आवासीय अभिन्यास के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवन के चारों ओर सीमान्त खुले क्षेत्र एवं आवृत क्षेत्र अधिकतम अभिन्यास मानचित्र में दर्शाये अनुसार मान्य होंगे। तथा भवन की ऊंचाई तथा फर्शी क्षैत्रानुपात मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के अनुसार मान्य होगी। मार्गाधिकार एवं सीमान्त खुले क्षैत्र में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नही होगा।
7. संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश कमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 अनुसार मध्यप्रदेश विधुत प्रदाय संहिता–2004 (मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड़–2004) अनुसार आवासीय कॉलोनियों/बहु उपभोक्ता परिसरों के लिये अनुमानित विधुत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदक बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौपेगा। तथा विभाग व्दारा विधुत प्रदाय प्रणाली जहाँ तक संभव हो पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना संबंधित विभाग व्दारा अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।
8. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014 में निर्दिष्ट प्रावधनोंनुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भू–स्वामी/विकेता व्दारा राजस्व विभाग व्दारा भूमि का सीमांकन कराया जाना आवश्यक होगा। सीमांकन अनुसार यदि भूमि के क्षैत्रफल/सीमा में यदि कोई भिन्नता आती है,तो आवेदक/भू–स्वामी को पुनः सीमांकित अभिन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत कराना होगा।
9. स्थल पर किसी भी प्रकार विकास/निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित मानों तथा मापदण्डों के अनुसार विकास/भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय संस्था से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही स्थल पर विकास/निर्माण कार्य किया जावेगा।

निरन्तर 3

10. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014, के तहत कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु चयनित विकल्प अनुसार अनुसार नियम 12 से 14 में निहित प्रावधानो के तहत जिला पंचायत की आश्रय निधि शाखा में जमा करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार ही विकास कार्य को कियान्वित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की जावेगी। तथा चयनित विकल्प पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।

11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम–67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करना होगा, तथा स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें एवं यदि कोई वृक्ष मार्गो की संरचना में व्यवधान उत्पन्न करता है,तो उसे हटाने के पूर्व कलेक्टर नीमच से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा,।

12 भवनों का निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 88 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत भूकम्प अवरोधी तकनीकी से करना होगा।

13 संलग्न आवासीय सह वाणिज्यिक अभिन्यास मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्ग की निरन्तरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्व नही किया जावें। पहुंच मार्ग की समुचित व्यवस्था नियमानुसार की जाना आवश्यक होगी।

14 आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के गंदे पानी की निकास, जल,मल संवहन की व्यवस्था,पीने के पानी की पाईप लाईन एवं टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायत के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मापदण्डों के अनुसार उनकी देख–रेख में करना होगा।

15. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के कचरे के संग्रहण/निपटान की समुचित व्यवस्था आवेदक व्दारा स्वयं के व्यय से निर्धारित स्थानों पर की जाना सुनिश्चित करना होगा।

16 सामूदायिक सेवा/सुविधाओं तथा सेप्टिक टेंक,इत्यादि का पृथक से प्रावधान करना आवश्यक होगा। तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होगी।

17 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 (4) के प्रावधानों के अनुसार वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था अपनाई जाना आवश्यक होगा।

18. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 50 (ख) एंव 52 के निहित प्रावधान सुनिश्चित किया जावे। तत्पश्चात ही आवेदक स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

19. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 (1) परिशिष्ट झ–2 के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था आवेदक को स्वयं के परिसर में करना होगा।

20 अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

21. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 23 के प्रावधानों के अनुरूप यह अभिमत तीन वर्ष की समयावधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

22. भू–स्वामी व्दारा आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर का संपूर्ण विकास/निर्माण निर्धारित मानकों व मापदण्डों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में पूर्ण करना होगा।

23. यह अभिमत केवल भूखण्डीय आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जा रहा है। जिसका अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन मान्य नही होगा।

24. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 5X4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

निरतर..........4

10. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ओर उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनी का विकास) नियम 2014, के तहत कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु चयनित विकल्प अनुसार अनुसार नियम 12 से 14 में निहित प्रावधानो के तहत जिला पंचायत की आश्रय निधि शाखा में जमा करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार ही विकास कार्य को कियान्वित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा प्रदान की जावेगी। तथा चयनित विकल्प पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।

11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम–67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करना होगा, तथा स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें एवं यदि कोई वृक्ष मार्गो की संरचना में व्यवधान उत्पन्न करता है,तो उसे हटाने के पूर्व कलेक्टर नीमच से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा,।

12 भवनों का निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 88 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत भूकम्प अवरोधी तकनीकी से करना होगा।

13 संलग्न आवासीय सह वाणिज्यिक अभिन्यास मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्ग की निरन्तरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्व नही किया जावें। पहुंच मार्ग की समुचित व्यवस्था नियमानुसार की जाना आवश्यक होगी।

14 आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के गंदे पानी की निकास, जल,मल संवहन की व्यवस्था,पीने के पानी की पाईप लाईन एवं टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायत के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मापदण्डों के अनुसार उनकी देख–रेख में करना होगा।

15. आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर के कचरे के संग्रहण/निपटान की समुचित व्यवस्था आवेदक व्दारा स्वयं के व्यय से निर्धारित स्थानों पर की जाना सुनिश्चित करना होगा।

16 सामूदायिक सेवा/सुविधाओं तथा सेप्टिक टेंक,इत्यादि का पृथक से प्रावधान करना आवश्यक होगा। तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होगी।

17 मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 (4) के प्रावधानों के अनुसार वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था अपनाई जाना आवश्यक होगा।

18. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 50 (ख) एंव 52 के निहित प्रावधान सुनिश्चित किया जावे। तत्पश्चात ही आवेदक स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

19. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 (1) परिशिष्ट झ–2 के अनुसार पार्किग की व्यवस्था आवेदक को स्वयं के परिसर में करना होगा।

20 अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

21. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 23 के प्रावधानों के अनुरूप यह अभिमत तीन वर्ष की समयावधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

22. भू–स्वामी व्दारा आवासीय अभिन्यास प्रयोजन परिसर का संपूर्ण विकास/निर्माण निर्धारित मानकों व मापदण्ड़ों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में पूर्ण करना होगा।

23. यह अभिमत केवल भूखण्डीय आवासीय प्रयोजन हेतु दिया जा रहा है। जिसका अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन मान्य नही होगा।

24. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 5X4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

निरतर..........4

25. विषयाकित भूमि में उत्तर–दक्षिण दिशा की ओर निम्न दाब विधुत लाईन गुजर रही है। उक्त विधुत लाईन से प्रभावित भूखण्डो को विधुत लाईन अन्यत्र स्थांतरित करने के पश्चात ही भूखण्ड मान्य होगे।

26. इस अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें, भू–स्वामित्व संबंधी कोई भी बाद–विवाद उत्पन्न होने पर स्वयं भूमि स्वामी जिम्मेदार होगे एवं यह अभिमत स्वमेव ही प्रभाव शुन्य माना जावेगा। तथा यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगा। व इस अनुमोदित मानचित्र. को किसी भी न्यायालय में स्वामित्व दस्तावेज स्वरूप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नही माना जावेगा। यह केवल नियोजन अभिमत है।

27. संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार खुला क्षेत्र/बगीचे का विकास करना होगा व वायर फेन्सिंग से सुरक्षित रखना होगा, इसका अन्य उपयोग वर्जित होगा। एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग से पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

28. प्रस्तावित स्थल पर विकास कार्य पूर्व मध्यप्रदेश भू–संपदा विनियमक प्राधिकरण (रेरा) भोपाल के पत्र कमांक एफ–3–100–32–2010 दिनांक 23–10–2016 के व्दारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित रियल ईस्टेट (विनिमायक आफ विकास नियम–2016) के प्रावधानो अनुसार अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

29. समय–समय पर प्रचलित नियमों तथा शासन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

30. अनुमोदित आवासीय अभिन्यास के विपरित किए गए विकास कार्य एवं गलत जानकारी दिए जाने पर तथा वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर या पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंधन करने पर यह अभिमत मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम–25 के प्रावधानों के तहत प्रतिसंहित (रिव्होक) कर दी जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आवेदक/कॉलोनाईजर की रहेगी।

संलग्नः– **एक अभिन्यास।**

(विनिता दर्ईयामकर)
प्र.उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच (म.प्र.)

पृ.क./ 1934 /एल.पी–/न.ग्रा.नि./2022/ नीमच दिनांक 09-09-202

प्रतिलिपिः–1. सरंपच/सचिव ग्राम पंचायत सांण्डिया तह. पंचायत मनासा जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय मनासा जिला नीमच की ओर स्वीकृति के अनुरूप भूखण्डों/ भवनों के विक्रय के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सहायक यंत्री मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड मनासा जिला नीमच की ओर सूचनार्थ।

4. आवेदक मेसर्स गंगानगर प्रीमियम प्रोपर्टीज भागीदार श्री अरूल पिता अशोक अरेरा एवं श्री आशीष पिता जयशंकर व्यास निवासी नीमच, कालोनाईजर मंगलायन रियल स्टेट श्री शैलेष पिता गिरधरी लाल गर्ग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

संलग्नः–एक अभिन्यास

(विनिता दर्ईयामकर)
प्र.उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच (म.प्र.)

LAYOUT PLAN OF PROPOSED "SHUBH MANGAL- II " RESIDENTAL DEVELOPMNENT OF LAND BEARING AT41/2,42/1,42/2,42/3,43/1,43/2 43/3,44/1,44/2,44/3,45/1,45/2, 45/3,46/1,46/2,59/1/1/2,59/1/5,59/1/6,59/1/1 72,75/2,75/4,76,77/1,77/2,78,80/1,81,82/2 84AND 85 VILLAGE - SANDIYA TEHSIL MANASA AND DIST- NEEMUCH

-BELONGS TO -
M/S GANGANAGER PREMIUM PROPERTIES

-AUTHORISED PARTNER AND COLONIZER -
SHRI ARUL ARORA S/O ASHOK KUMAR ARORA

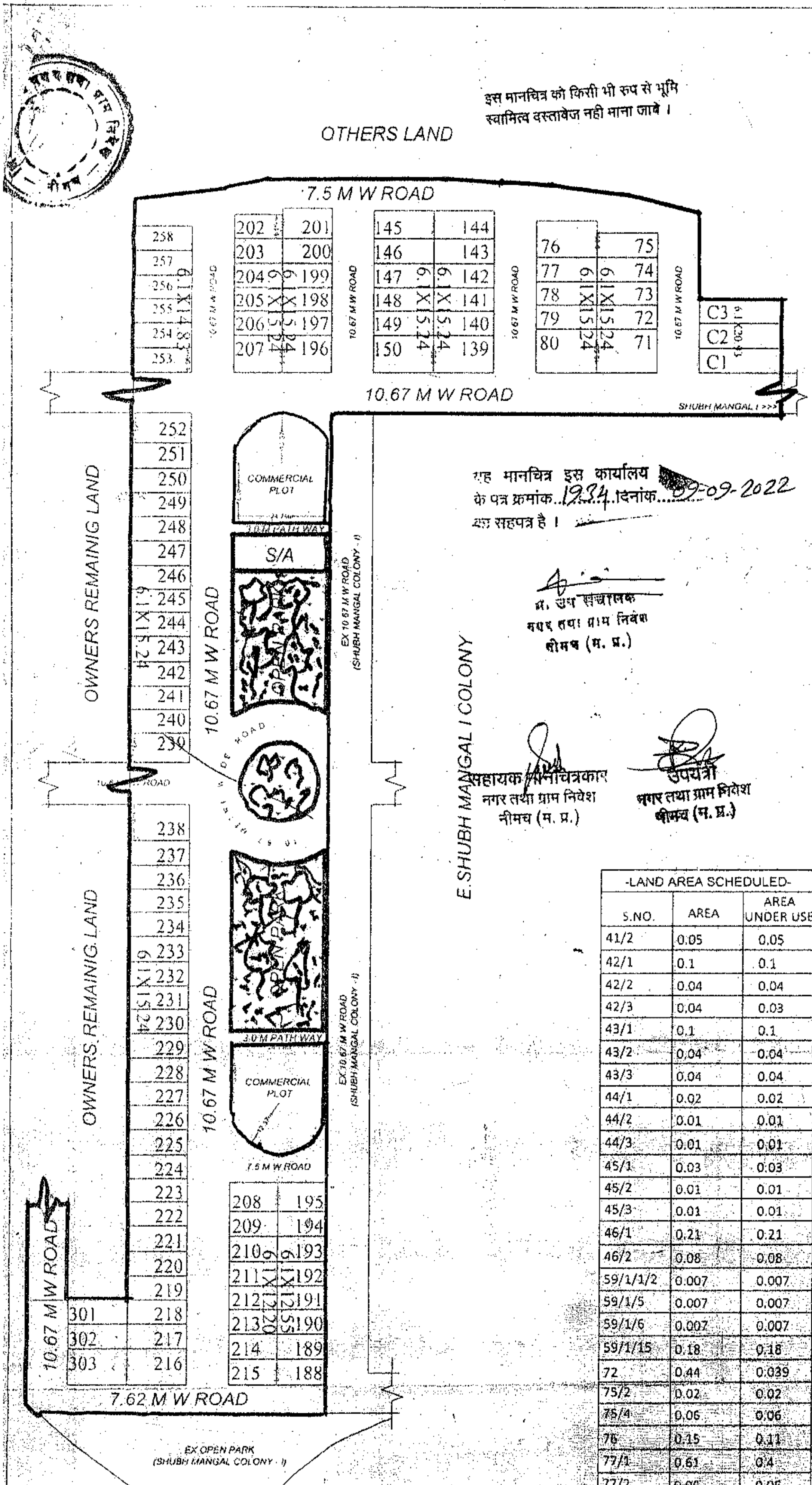

-AREA STATEMENT-

NET PLANNING	- 2.2360 HEC.OR 22360 SQM
PLOT AREA	- 10750 SQM
OPEN PARK	- 2236 SQM (10%)
SERVICE AREA	- 223 SQM (1%)
ROAD AREA	- 9151 SQM

-PATWARI TRCE-

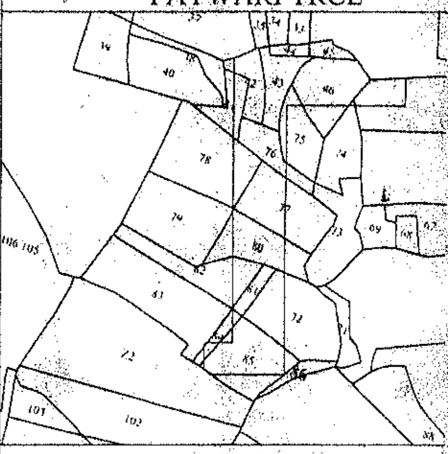

-PATWARI TRCE-

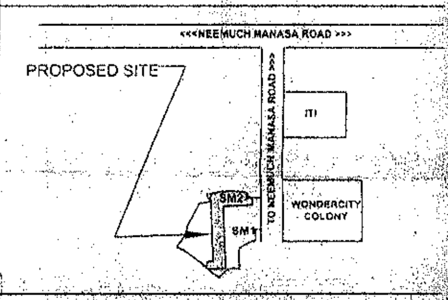

-LAND AREA SCHEDULED-

S.NO.	AREA	AREA UNDER USE
41/2	0.05	0.05
42/1	0.1	0.1
42/2	0.04	0.04
42/3	0.04	0.03
43/1	0.1	0.1
43/2	0.04	0.04
43/3	0.04	0.04
44/1	0.02	0.02
44/2	0.01	0.01
44/3	0.01	0.01
45/1	0.03	0.03
45/2	0.01	0.01
45/3	0.01	0.01
46/1	0.21	0.21
46/2	0.08	0.08
59/1/1/2	0.007	0.007
59/1/5	0.007	0.007
59/1/6	0.007	0.007
59/1/15	0.18	0.18
72	0.44	0.039
75/2	0.02	0.02
75/4	0.06	0.06
76	0.15	0.11
77/1	0.61	0.4
77/2	0.06	0.06
78	0.66	0.065
80/1	0.2	0.065
81	0.05	0.05
82/2	0.18	0.08
84	0.05	0.01
85	0.44	0.296

NOTE -PROVIDING TO SHELTER CHARGE

-OWNER SIGN-

99 plot

-DRAWN AT -

ER RISHAB MANODIYA (CIVIL ENGINEER) M.L.N.NO.S-37 MOS

ER NEERAJ KUMAR NAGDA (M.TECH) TNCP NMC.L.H.NO.

DEVYANSHI CONSULTANCY
INFRONT OF SHUBHKAMNA RESORT SANJEET ROAD , MANDSAUR 458001